# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

**राजस्व अपील संख्या 336/2023**

अपीलांट

सुआ देवी पत्नी बाबुराम माली
निवासी कुई इन्दा, तहसील बालेसर
जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. कान्ता पुत्री बुधाराम
2. खेमाराम पुत्र लुम्बाराम
3. खेताराम पुत्र लुम्बाराम
4. पानी देवी पत्नी बुधाराम
5. मनोज पुत्र बुधाराम
   (जाति कुम्हार, निवासी शहीद भंवरसिंह नगर, तह0 बालेसर, जिला जोधपुर)
6. लालाराम पुत्र काशीराम माली
   निवासी कुई इन्दा, तह0 बालेसर
   जिला जोधपुर
7. सन्दु देवी पत्नी बुधाराम
8. सायर देवी पत्नी अनोपाराम कुम्हार
   निवासी शहीद भंवरसिंह नगर, तह0
   बालेसर जिला जोधपुर
9. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार
   बालेसर जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बालेसर मुकदमा नं0 54/2022 आदेश दिनांक 11.07.202

उपस्थिति –
1. श्री उम्मेदसिंह बावरला, श्री रमेश भादू वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 9
3. रेस्पो0सं0 1 से 8 बावजूद सूचना एवं नोटिस तामिल के अनुपस्थिति

## निर्णय

दिनांक 24.06.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 8 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 के तहत प्रस्तुत कर तहसील बालेसर के ग्राम शहीद भंवरसिंह नगर स्थित अपने खातेदारी खसरा नं0 209 रकबा 1.6349 हैक्टर भूमि की नेखमबंदी पैमाईश जरिये पत्थरगढी करवाने हेतु प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.07.2022 द्वारा स्वीकार कर प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 8 के उल्लेखित खसरान की भूमि की नेखमबंदी/पत्थरगढी करवाने का आदेश पारित किया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अंतर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रा0प0 मय श0प0 प्रस्तुत किये गये। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

रेस्पो0सं0 1 से 8 बावजूद सूचना व नोटिस के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इकतरफा बहस सुनी गई। दौरान बहस अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम शहीद भंवरसिंह नगर के खसरा नं0 208 के काबिजका त व खातेदार है, उक्त भूमि के चारों तरफ तारबंदी व झाली की हुई है। रेस्पो0 संख्या में अधिक होने से अपीलांट महिला को परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आदेश की आड़ में मौके पर कब्जे से बेदखल कर, उसकी खातेदारी भूमि को खुर्द–बुर्द करना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 8 द्वारा अपने खेत खसरा नं0 209 की नेखमबंदी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पडौसी खसरान के खातेदार–अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया, जिससे उन्हे सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नही मिला। रेस्पो0सं0 1 से 8 के खसरान की भूमि के पडौसी खेतों के बीच कोई पक्की माठ व मुटाम नही होने से सीमा का सही ज्ञान नही है। प्रकरण में अप्रार्थी–तहसीलदार बालेसर द्वारा जवाब/रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जिसके बिन्दु सं0 1 में यह उल्लेखित है कि "प्रार्थी–लालाराम के खेत खसरा नं0 209 रकबा 1.6349 हैक्टर भूमि का हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान किया गया। जिससे पक्षकार संतुष्ट नही हुए व मौके पर प्रार्थी काबिज न होकर अन्य का कब्जा होने से यह मामला कब्जा विवाद का है। उक्त खसर की भूमि की प्रार्थीगण पत्थरगढी जरिये सीमाज्ञान करवाया जाता है, तो कोई आपत्ति नही है। जबकि मौका फर्द दिनांक 22.06. 22 में मात्र ख0नं0 209 के नजरी नक्शें में दर्शाये गये बिन्दूओं के अनुसार प्रार्थी–रेस्पो0 का काबिज होने अथवा नही होने का ही उल्लेख कर, इसे कब्जा विवाद का मामला बताया गया है। मौके पर उक्त विवाद की जानकारी होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में यह उल्लेख करते हुए कि "पत्रावली में पडौसी खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है, अगर पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाया जाता है तो प्रार्थी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

को न्याय में अत्यधिक विलंब होगा, जिससे उक्त प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नही रह जाता है; अतः वादग्रस्त भूमि की पैमाईश कर पडौसी खातेदारों के रूबरू सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार बालेसर को आदेशित करते हुए पारित किया गया है। जो विधि विधान संचिका अभिलेख न्याय एवं कानून के विपरित होने से निरस्त योग्य है।

अपीलांट आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार है। विलंब के आधार पर किसी पक्षकार को न्याय से वंचित नही किया जा सकता है। कानूनन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 8 का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जाना चाहिए था, परंतु उक्त जानकारी के बावजूद एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित होने निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि आलौच्य प्रकरण में अपीलांट व रेस्पो0सं0 1 से 8 के मध्य मौके पर कब्जा संबंधी विवाद है, जिसका उल्लेख तहसीलदार बालेसर के जवाब/रिपोर्ट एवं मौका फर्द दिनांक 22.6.22 में किया हुआ। प्रायः कब्जे संबंधी विवाद के मामलों का निस्तारण नेखमबंदी पैमाईश जरिये पत्थरगढी के प्रार्थना पत्रों के माध्यम से किया जाना विधिसम्मत नही है। उक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदार–अपीलांट को पक्षकार नही बनाये जाने से उसे सुनवाई का अवसर नही मिला। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के तथ्यों की जानकारी के उपरांत पडौसी खसरान के खातेदार /अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना, प्रकरण में एकतरफा निर्णय पारित कर दिया गया, जो प्रथम दृष्टया विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर (जोधपुर) द्वारा राजस्व आवेदन सं0 54/2022 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2022 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन खसरान की भूमि का सीमांकन एवं

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 सं0 1 से 8 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान/सह–खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 24 जून, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

24.06.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर